

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला-दौसा

प्रकरण सं. 236/2017

दायर दिनांक:- 17.11.2017

निर्णय दिनांक:- 17.12.2019

उनवान  
श्रीमति भौती  
बनाम  
बाबूलाल

## निर्णय

वादीयो ने एक दावा बाबत तकास्मा स्वयं हुक्म इम्तनाई दवामि खिलाफ प्रतिवादीगण नयायालय हाजा में पेश किया गया दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादीगण हाजिर अदालत हुए। प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर भांवता के शुलभ रूप से न्याय प्रदान करने की मंशा से रखी गई। शिविर में वादीया भौती देवी देवी उपस्थिति हुई तथा स्वयं के हिस्से की दर्ज खातेदारी भूमि का तकास्मा कराने का निवेदन किया। प्रकरण वादीया की न्याय आपके द्वार शिविर भांवता में मजमे आम सुनवाई कर दिनांक 23.05.2018 को दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में उपतहसीलदार बांदीकुई द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये जो शामिल पत्रावली है। प्राप्त कुर्रेजात पर पक्षकारान अधिवक्तागण ने अनापत्ति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का अद्योपांत परिशीलन किया प्राप्त कुर्रेजात प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है। अतः कुर्रेजात के अनुसार डिक्री करना उचित समझते है। अतः आदेश है कि:-

वाके ग्राम भांवता तहसील बसवा की जमाबंदी संवत 2075 के खसरा नं. 1662 रकबा 0.78 है0 1663 रकबा 0.26 है0, 1665/2 रकबा 0.22 है0 किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 वादीया भौती पत्नी रामधन जाति बैरवा निवासी-तिगड्डा

रहित ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बांदीकुई मूर्तहीन के कब्जे कास्त खातेदारी में रहेगी।

खसरा नं. 1665/1 रकबा 0.23 है0, 1666 रकबा 0.37 है0, 1668 रकबा 0.37 है0, 1669 रकबा 0.04 है0, 1670 रकबा 0.14 है0 , 1671 रकबा 1.24 है0, 1672 रकबा 0.13 है0 किता 7 रकबा 2.52 है0 प्रतिवादीगण, बाबूलाल, प्रकाश पि. श्रीनारायण हि. 1/2 हि0 व रामजीलाल पुत्र शंकर हि. 1/2 कौम बलाई सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बांदीकुई मूर्तहीन के कब्जे कास्त खातेदारी में रहेगी।

खसरा नं. 1664 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकीन चाह भौती पत्नी रामधन हि. 1/3 जाति बैरवा निवासी तिगड्डा राहिन ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बांदीकुई मूर्तहीन, बाबूलाल, प्रकाश पि. श्रीनारायण हि. 1/3 ब. रामजीलाल पुत्र शंकर हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह राहित एस.बी.बी.जे. शाखा बांदीकुई मूर्तहीन हाल इन्द्राज के अनुसार यथावत शामलात में रहेगा। तदानुसार अलग-अलग खाता बंदी कर लगान दर्ज किया जावे, कुर्रेजात निर्णय, डिक्री का पार्ट रहेगें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

